

प्रेषक,

संख्या-15/एक-10-2026

अनिल कुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, वाराणसी एवं मथुरा।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 14-01-2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु प्रदेश के 17 नगर निगम क्षेत्र में रैन बसेरों के सफल संचालन के लिए धनावंटन के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये धनावंटन हेतु एम0एच0ए0 के पत्र संख्या-33-03/2020-एन0डी0एम0-1, दिनांक 11.07.2023 द्वारा जारी गाइडलाइन के आइटम नं0-3 (क) के प्राविधान-राहत कैम्प में सुरक्षित बचाकर लाये गये व्यक्तियों/शरणार्थियों/प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा आदि की व्यवस्था किये जाने के आलोक में गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु प्रदेश के 17 नगर निगम क्षेत्र में रैन बसेरों के सफल संचालन हेतु रु0 170.00 लाख (रूपये एक करोड़ सत्तर लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रु0 में)		
क्र0सं0	जनपद का नाम	रैन बसेरों के सफल संचालन हेतु स्वीकृति धनराशि
1	आगरा	10.00
2	अलीगढ़	10.00
3	अयोध्या	10.00

4	बरेली	10.00
5	फिरोजाबाद	10.00
6	गाजियाबाद	10.00
7	गोरखपुर	10.00
8	झांसी	10.00
9	कानपुर	10.00
10	लखनऊ	10.00
11	मेरठ	10.00
12	मुरादाबाद	10.00
13	प्रयागराज	10.00
14	सहारनपुर	10.00
15	शाहजहाँपुर	10.00
16	वाराणसी	10.00
17	मथुरा वृन्दावन	10.00
कुल योग		170.00
(रूपये एक करोड़ सत्तर लाख मात्र)		

नियम एवं शर्तें

- (1) इस संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-1031/एक-10-2025-12(34)/2003 टीसी-1, दिनांक 01.11.2025 में दिये गये प्राविधानों/निर्देशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा। शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता/लापवाही बरती जाती है, तो इसके लिए जिलाधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपद में प्रति तहसील निर्वल, निराश्रित, आश्रयहीन एवं असहाय व्यक्तियों को शीतलहरी से निजात दिलाने के लिए नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद तथा नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने जैसी यथोचित कार्यवाही की जाए।
- (3) उक्त धनराशि का व्यय एम0एच0ए0 के पत्र सं0-33-03/2020-एन0डी0एम0-1, दिनांक 11.07.2023 द्वारा जारी गाईड लाइन में उल्लिखित अर्ह मानक मर्दों के अनुसार किया जायेगा।
- (4) निर्वल, निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्यधिक ठण्ड व शीतलहरी से बचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा बिना समय गवाएं जरूरत मंद व्यक्तियों को यथाशीघ्र समय से निःशुल्क अलाव आदि की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, ताकि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी की पूरी अवधि हेतु उन्हें यह सुविधा प्राप्त हो सके।
- (5) इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग प्राप्त किया जाये तथा यह

सुनिश्चित किया जाये कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु न हो।

(6) अलाव जलाने का विवरण जनपद स्तर पर रखा जायेगा तथा जनपद की वेबसाइट के साथ ही राहत की वेबसाइट rahat@nic.in पर अवश्य फीड कराया जायेगा।

(7) अलाव जलाने पर व्यय की गयी धनराशि आदि का जिला स्तर पर समुचित लेखा जोखा रखा जायेगा तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(8) अलाव जलाने की अदयावधिक स्थिति राहत आयुक्त कार्यालय के ई-मेल rahat@nic.in पर प्रत्येक दिन शाम 4 बजे तक अवश्य उपलब्ध कराया जाए।

(9) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2026 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(10) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड- 5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(11) उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2 - उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-08-शीतलहरी/पाला हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3 - यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Digitally signed by
ANIL KUMAR

Date: 14-01-2026

(अमित कुमार)
154450

संख्या-15 (1)/एक-10-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम(लेखा एवं हकदारी), प्रयागराज, 30प्र०।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 30प्र०।
- 3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव 30प्र०।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र० लखनऊ।
- 5- राहत आयुक्त, 30प्र०, लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-16/01/2026

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

015

001-015

51 राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)

05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय

08 - शीत लहरी / पाला से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	सहारनपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 4600000	1000000 4600000
2	मेरठ-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 2650000	1000000 2650000
3	अलीगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 4610000	1000000 4610000
4	मथुरा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 8147000	1000000 8147000
5	आगरा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 10696000	1000000 10696000
6	बरेली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 9300000	1000000 9300000
7	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 3200000	1000000 3200000
8	शाहजहाँपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 7694000	1000000 7694000
9	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 4299000	1000000 4299000
10	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 12429000	1000000 12429000
11	झाँसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 5541000	1000000 5541000
12	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 4666000	1000000 4666000
13	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 10875000	1000000 10875000
14	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 7584000	1000000 7584000
15	अयोध्या-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 4956000	1000000 4956000
16	गाजियाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 6045000	1000000 6045000
17	फिरोजाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 6608000	1000000 6608000
	योग	वर्तमान प्रगामी	17000000 113900000	17000000 113900000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ सत्तर लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया ग्यारह करोड़ उनतालीस लाख

810
(सहायक कमिश्नर)
(सहायक कमिश्नर)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आदेश
उत्तर प्रदेश।